न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– बंशीधर योगी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 11 / 2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

1. लाडू पुत्री स्व0 श्री जयराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

2. कोयली पुत्री स्व0 श्री जयराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

1. केशा पुत्र श्री जयराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गजरी पुत्री स्व0 श्री भोजा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भाली पुत्री स्व0 श्री भोजा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. सुखी पुत्री स्व0 श्री भोजा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. गणी पुत्री स्व0 श्री भोजा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. प्यारी पत्नी स्व0 श्री भोजा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. केशा मुतबन्ना रेमता गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. उदेराम पुत्र श्री आशु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
9. गणेश पुत्र श्री तुलछा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. छोगा पुत्र श्री पोखर गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. नैनी पतनी श्री आशु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

12. पन्ना लाल पुत्र श्री आशु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
13. प्रभु पुत्र श्री भैरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
14. पारस पुत्र श्री पोखर गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
15. भंवर पुत्र श्री आशु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
16. मेमा पुत्री श्री भेरा गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
17. रामलाल पुत्र श्री आशु गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
18. सुवा पुत्र श्री पोखर गुर्जर आयु वयस्क निवासी– धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा
20. उपपंजीयक महोदय,पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
21. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 धुंवाला (क) तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये व्यवस्थापक
22. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) जरिये शाखा प्रबंधक

—— प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार जैन – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री मुकेश सिंह तंवर – अधिवक्ता विपक्षी सं0 02 लगायत 06
3. विपक्षी सं0 01 व 07 से 18 – एकपक्षीय

:: आदेश ::

दिनांक – 13.08.2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वादपत्र धारा 88,89,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 06 छह के परिवार

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

का पारिवारिक सजरा प्रार्थनापत्र मे वर्णित है। सरहद धुंवाला (क) पटवार हल्का धुंवाला (क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थीगण की निम्न पुश्तैनी कृषि आराजियात स्थित है, **भाग–अ खाता संख्या 184 एक सौ चौरियासी मे** आराजी नम्बर 2842 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2843 रकबा 0.1138 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.1644 हैक्टयर, **भाग–ब खाता संख्या 37 सैतीस मे** आराजी नम्बर 267 रकबा 0.2656 हैक्टयर, आराजी नम्बर 268 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.3035 हैक्टयर , **भाग– स खाता संख्या 183 एक सौ तरियासी मे** आराजी नम्बर 665 रकबा 0.5185 हैक्टयर, आराजी नम्बर 666 रकबा 0.6956 हैक्टयर, आराजी नम्बर 667 छह सौ सतसठ रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 668 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 669 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 754 रकबा 0.3162 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 1.8212 हैक्टयर, **भाग–द खाता संख्या 248 दौ सौ अडचास मे** आराजी नम्बर 2833 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2834 रकबा 0.6070 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2835 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2836 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2837 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2838 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2839 रकबा 0.1518 हैक्टयर , आराजी नम्बर 2840 रकबा 0. 4426 हैक्टयर कुल किता 08 रकबा 1.8211 हैक्टयर उक्त आराजियात मे प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 के पूर्वज जयराम जी का भाग–अ व ब मे वर्णित आराजियात मे 1/5 हक हिस्सा, भाग–स मे वर्णित आराजियात मे 2/9 हक हिस्सा व भाग–द मे वर्णित सम्पूर्ण आराजियात है, उक्त हक हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे विपक्षी संख्या 01 एक केशा पुत्र श्री जयराम व भोजा पुत्र श्री जयराम के नाम पर गलत रूप से अभिलिखित है, भोजा पुत्र जयराम का देहान्त हो गया है, जिसके विधिक वारीस विपक्षी संख्या 02 लगायत 06 है। पारीवारिक सजरे अनुसार लिखित बहस की चरण संख्या 02 दो के भाग–अ व ब मे वर्णित आराजियात मे प्रार्थीया संख्या 01 का 1/20 हक हिस्सा, प्रार्थीया संख्या 02 दो का 1/20 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 एक का 1/20 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 लगायत 06 छह का 1/20 हक हिस्सा, भाग–स मे वर्णित आराजियात मे प्रार्थीया संख्या 01 का 1/18 हक हिस्सा, प्रार्थीया संख्या 02 दो का 1/18 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 एक का 1/18 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 लगायत 06 छह का 1/18 हक हिस्सा, भाग–द मे वर्णित आराजियात मे प्रार्थीया संख्या 01 का 1/4 हक हिस्सा, प्रार्थीया संख्या 02 दो का 1/4 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 एक का 1/4 हक हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 लगायत 06 छह का 1/4 हक हिस्सा निहित होकर इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आराजियात प्रार्थीगण के पिता जयराम जी की होकर पुश्तैनी आराजियात है, प्रार्थीगण जो कि जयराम जी की जायन्दा पुत्रीया होकर उनका जन्म से हक अधिकार निहित है। दिनांक 20 बीस दिसम्बर 2022 दो हजार बाईस को विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 छह मौके पर आये व जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोशिश की, इस पर प्रार्थीगण ने कहा कि उक्त जमीन प्रार्थीगण के पिता जयराम जी की है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज है, इस पर विपक्षीगण ने कहा कि जयराम जी की मृत्यु के उपरान्त विपक्षी संख्या 01 एवं विपक्षी संख्या 02 लगायत 06 के पिता व पति भोजा ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती कर प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही होने

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

दिया। इस कारण से प्रार्थीगण को बेदखल करके रहेगे व आराजियात को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करके रहेगे। इस पर प्रार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि प्रार्थीगण के पिता जयराम जी की मृत्यु उपरान्त विपक्षी संख्या 01 एवं विपक्षी संख्या 02 लगायत 06 के पिता व पति भोजा द्वारा राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती कर प्रार्थीगण जो कि जयराम जी की जायन्दा पुत्रीया होते हुए भी उक्त भूमि मे प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही होने दिया, जो अवैध है, प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड मे अपना हक हिस्सा दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। यदि विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 छह प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर देगे व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द कर देगे तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस कारण से प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि विपक्षीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे और नही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे और न ही किसी अन्य से करावे। उक्त भूमि जो कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी होकर जन्म से प्रार्थीगण का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुरूष पुत्र के बराबर हक अधिकार निहित होकर प्रार्थीगण प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है ओर सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण प्रार्थीगण के पक्ष मे है और विपक्षीगण प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने व आराजी को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण करने पर आमादा है। प्रार्थीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देगा व आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/ खुर्द बुर्द कर देगा तो प्रार्थीगण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थीगण प्रार्थीगण अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगा। जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नही होगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अंत मे प्रार्थना दर्ज करते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

इस पर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये व विपक्षी संख्या 02 लगायत 06 द्वारा जवाब पेश किया गया, जिसमे मुख्य उजर रेकार्डेड खातेदार के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है व वर्ष 1982 से खातेदार होना बताया गया है। उक्त खातेदार जो कि नुमाईशी तोर पर राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगती कर बिना विधिक वारीसान की जांच पडताल किये, प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकन नहीं किया है, विपक्षीगण संख्या 02 लगायत 06 के हक हिस्से मे प्रार्थीगण का हक हिस्सा भी निहित है। इस कारण से विपक्षी संख्या 02 लगायत 06 का कोई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु उनके पक्ष मे नही है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर ठरेड़

प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गयी व न्यायिक दृष्टान्त विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा सुपीम कोर्ट ऑफ इण्डिया दिंनाक 11/08/2020 पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तीनो बिन्दुओ का विवेचन किया जाना न्याय संगत है–

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

2– **सुविधा संतुलन**

3– **अपूरणीय क्षति**

सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला – प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी की नकले पेश की गयी व साथ ही प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विपक्षीगण को भूमि विरासत से प्राप्त हुई है व प्रार्थीगण भी जयराम की पुत्रीया होकर विधिक वारीस व उत्तराधिकारी है। विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा सुपीम कोर्ट ऑफ इण्डिया दिंनाक 11/08/2020 मे स्पष्टतः प्रतिपादित है कि पुत्रीयो को पुत्र के बराबर हक अधिकार निहित माना है। प्रार्थीगण कानूनन हक हिस्सा बनता है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष मे प्रमाणित होता है। उक्त भूमि को अन्तरण आदि होने व प्रार्थीगण का बेदखल करने से प्रार्थीया को क्षति हो सकती है। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे एंव विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

सुविधा संतुलन– उक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि आराजियात है, प्रार्थीगण द्वारा अपना कब्जा होना बताया गया है। जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे एंव विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

अपूरणीय क्षति– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित होने से व उक्त भूमि पुश्तैनी होने से प्रार्थीगण को बेदखल करने व आराजियात को खुर्द बुर्द करने पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्व प्रमाणित होता है।

प्रार्थीगण द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है, जिसका अवलोकन किया गया, जो प्रकरण मे हबहु चस्पा होता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र धारा–212 आर.टि.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाती है कि विपक्षीगण सरहद धुंवाला (क) पटवार हल्का धुंवाला (क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गोरख्या

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थीगण की निम्न पुश्तैनी कृषि आराजियात स्थित है, **भाग–अ खाता संख्या 184 एक सौ चौरियासी मे** आराजी नम्बर 2842 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2843 रकबा 0.1138 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.1644 हैक्टयर, **भाग–ब खाता संख्या 37 सैतीस मे** आराजी नम्बर 267 रकबा 0.2656 हैक्टयर, आराजी नम्बर 268 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 0.3035 हैक्टयर , **भाग– स खाता संख्या 183 एक सौ तरियासी मे** आराजी नम्बर 665 रकबा 0.5185 हैक्टयर, आराजी नम्बर 666 रकबा 0.6956 हैक्टयर, आराजी नम्बर 667 छह सौ सतसठ रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 668 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 669 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 754 रकबा 0.3162 हैक्टयर कुल किता 06 रकबा 1.8212 हैक्टयर, **भाग–द खाता संख्या 248 दौ सौ अडचास मे** आराजी नम्बर 2833 रकबा 0.3035 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2834 रकबा 0.6070 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2835 रकबा 0.1518 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2836 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2837 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2838 रकबा 0.0506 हैक्टयर, आराजी नम्बर 2839 रकबा 0.1518 हैक्टयर , आराजी नम्बर 2840 रकबा 0.4426 हैक्टयर कुल किता 08 रकबा 1.8211 हैक्टयर भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे व प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे व्यवधान पैदा नही करे व उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हसतांतरण नही करे व किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नही करावे व विपक्षीगण मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(वंशिका सोनी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)